19 39

-33002/97 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED NO. D.L.—33002/97

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1997/चैत्र 27, 1919 [पी. आर. डी. सं. 115
No. 78] DELHI, THURSDAY, 17TH APRIL, 1997/CHAITRA 27, 1919 [P.R.D. No. 115

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 1997

एस. ई. सी. ई. सं. फा. 10/164/परि./97/1095.—मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 की अधिनियम संख्या 59) की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल की संतुष्टि पर कि जन सुरक्षा या सुविधा के हित में सड़क पर मोटर वाहनों का आवागमन विनियमित करना आवश्यक है और इसके लिये इसके द्वारा वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में रेत, बदरपुर, स्टोन एग्रीगेट, छिलका, राखी और अन्य आपतिजनक सामग्री ले जा रहे मोटर वाहनों (ट्रेलरों सहित) की ड्राइविंग को तत्काल तब तक प्रतिबंधित करतें हैं जब तक ऐसी ले जाई गई वस्तुएँ ऐसी सामग्री से विधिपूर्वक ढकी न हों ताकि यह सुनिश्चित् हो सके कि वाहन से भरे माल का कोई भाग वाहन के बाहर उड़ता, निकालता/पड़ता न हो ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर
किरण ढींगरा, आयुक्त व सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th April, 1997

No. F. SECE. 10 (164)/Tpt./97/1095.—In exercise of the powers conferred by Section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act, No. 59 of 1988), the Lieutinent Governor of the National Capital Territory of Delhi on being satisfied that it is necessary in the interest of public safety or convenience to regulate movement of Motor Vehicles on road hereby prohibits with immediate effect the driving of Motor Vehicles (including trailers) carrying goods such as Sand, Badarpur, Stone,

Husk, Fly-ash and other offensive matters in the National Capital Territory of Delhi, unless the goods so carried are covered with such materials in such manner as to ensure that no part of the goods contained in the Vehicle flies/falls out of the Vehicle.

By order and in the name of the
Lieutinent Governor of N.C.T. of Delhi
KIRAN DHINGRA, Commissioner-cum-Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 1997

एफ. 60 ( 59 ) डी. एस. डब्ल्यू./डी. डी. टी./डब्ल्यू डब्ल्यू/खंड-II—15645—664.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 (1994 के दिल्ली अधिनिमय संख्या-8) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए महिला आयोग निम्न व्यक्तियों सहित इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से पुनर्गठन करती है ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती कमला मनकेकर,<br>सी-44, गुलमोहर पार्क,<br>नई दिल्ली-110049 | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती मृदुला सिन्हा,<br>डीटी 62/20, कालकाजी एक्सटेंशन,<br>नई दिल्ली-110019 | सदस्य |
| 3. | श्रीमती नीरा शास्त्री,<br>1, मोती लाल नेहरू प्लेस,<br>10-ए, जनपथ,<br>नई दिल्ली. | सदस्य |
| 4. | श्रीमती बीना सिंह,<br>6, निजामुद्दीन पूर्वी,<br>नई दिल्ली-110013. | सदस्य |
| 5. | निदेशक,<br>समाज कल्याण,<br>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,<br>दिल्ली सरकार,<br>दिल्ली. | सदस्य-सचिव |

02. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य क्रमशः अपना कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये पद पर रहेगें ।

03. आयोग निम्नलिखित में से सभी या किसी भी कार्य का निष्पादन करेगा यथा :—

(क) संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों का अन्वेषण एवं परीक्षण करना ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के सुरक्षा उपयों पर वार्षिक या ऐसे अन्य समयों पर जिसे आयोग ठीक समझे रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(ग) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के वर्तमान प्रावधानों तथा अन्य कानूनों का समय-समय पर पुर्ननिरीक्षण (पुनरावलोकन) करना तथा उनमें संशोधनों की सिफ़ारिशें करना, ताकि इस प्रकार की विधियों में त्रुटियों, अनुपयुक्तता कमियों को दूर करने के लिये सुधारात्मक विधि के उपाय का सुझाव दिया जा सके ।

(घ) संविधान के प्रावधानों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों का उल्लंघन के मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के सामने लाना ।